दूरभाष (का0) 0135–2676260
फैक्स: 0135–2676177

उत्तराखण्ड जल संस्थान

'जलभवन' बी–ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून।

पत्रांक 4920/वि0अनु0/02/टैरिफ–वि0शु0/2021–22 दिनांक : 27/11/2021

महत्वपूर्ण

समस्त अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड जल संस्थान
....

विषयः **दिनांक 31 मार्च 2022 तक जलमूल्य/सीवर शुल्क देयकों के एकमुश्त भुगतान करने की दशा में विलम्ब शुल्क की धनराशि शत प्रतिशत माफ किये जाने विषयक।**

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–1436/उन्तीस (1)/2021–(घोषणा–1) 2021 दिनांक 26 नवम्बर, 2021 द्वारा मा0 मुख्यमन्त्री जी द्वारा की गई घोषणा संख्या–414/2021 के क्रम में पेयजल एवं सीवर सुविधा के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं (घरेलू/व्यवसायिक) के विरूद्ध वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान लम्बित तथा दिनांक 31–03–2022 तक सृजित होने वाले जलमूल्य/सीवर शुल्क के अवशेष देयकों का एकमुश्त भुगतान करने की दशा में विलम्ब शुल्क की धनराशि शत प्रतिशत माफ किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान कर दी गई है–

1– जलमूल्य/सीवर शुल्क के अवशेष देयकों के विलम्ब शुल्क को दिनांक 31–03–2022 तक माफ किये जाने पर इस स्थगन अवधि में जल/सीवर संयोजन विच्छेदित नहीं किये जायेंगें तथा ऐसे उपभोक्ताओं से स्थगन अवधि के लिये कोई विलम्ब शुल्क/सरचार्ज नहीं लिया जायेगा।

2– उक्त स्थगन अवधि के उपरान्त जलमूल्य/सीवर शुल्क के अवशेष देयकों के भुगतान एकमुश्त किये जाने की दशा में निर्धारित शुल्क यथा नियम प्रक्रियानुसार लिया जायेगा।

3– जलमूल्य एवं सीवर शुल्क की उक्त स्थगन अवधि के उपरान्त जल संस्थान द्वारा विलम्ब शुल्क की गणना कर क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में प्रमाणकों सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायेगा।

अतः आपको उक्त शासनादेश दिनांक 26 नवम्बर, 2021 की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि शासनादेश उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न : यथोपरि।

(नीलिमा गर्ग)
महाप्रबन्धक (मु0)

संख्या एवं दिनांक तदैव :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान पौड़ी/नैनीताल/पिथौरागढ।
2– समस्त अधीक्षण अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान...
3– वरिष्ठ लेखाधिकारी (लेखा), उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
4– जलकल अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश/विकासनगर।
5– श्री मनोज भट्ट, संगणक, उत्तराखण्ड जल संस्थान मुख्यालय देहरादून।

महाप्रबन्धक

उत्तराखण्ड शासन,
पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-1
संख्या:- /उन्तीस (1)/2021-(घोषणा-1)2021,
देहरादून : दिनांक- 26 नवम्बर, 2021

कार्यालय आदेश

विधान सभा सत्र के दौरान दिनांक 28.08.2021 को मा0मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा संख्या-414/2021 "राज्य के समस्त जल/सीवर उपभोक्ताओं द्वारा 31 दिसम्बर, 2021 तक अवशेष देयकों का एकमुश्त भुगतान करने की दशा में विलम्ब शुल्क की राशि शत-प्रतिशत माफ किया जायेगा" के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त पेयजल एवं सीवर सुविधा के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं (घरेलू/व्यवसायिक) के विरूद्ध वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान लम्बित तथा दिनांक 31.03.2022 तक सृजित होने वाले जल मूल्य/सीवर शुल्क के अवशेष देयकों का एकमुश्त भुगतान करने की दशा में विलम्ब शुल्क की धनराशि शत-प्रतिशत माफ किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1- जल मूल्य/सीवर शुल्क के अवशेष देयकों के विलम्ब शुल्क को दिनांक 31.03.2022 तक माफ किये जाने पर इस स्थगन अवधि में जल/सीवर संयोजन विच्छेदित नही किये जायेंगे तथा ऐसे उपभोक्ताओं से स्थगन अवधि के लिए कोई विलम्ब शुल्क/सरचार्ज नही लिया जायेगा।

2- उक्त स्थगन अवधि के उपरान्त जल मूल्य/सीवर शुल्क के अवशेष देयकों के भुगतान एकमुश्त किये जाने की दशा में निर्धारित विलम्ब शुल्क यथा नियम प्रकियानुसार लिया जायेगा।

3- जल मूल्य एवं सीवर शुल्क की उक्त स्थगन अवधि के उपरान्त, जल संस्थान द्वारा विलम्ब शुल्क की गणना कर क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में प्रमाणकों सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

उक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-676/XXVII(2)/2021 दिनांक 18 नवम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(उदय राज सिंह)
अपर सचिव।

पत्र सं0-1436/उन्तीस (1)/2021-(घोषणा-1)2021, तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी को मा0मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. सचिव (प्रभारी), मुख्यमंत्री कार्यालय, घोषणा अनुभाग, को उनके पत्र दिनांक 28.08.2021 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि मा0मुख्यमंत्री जी द्वारा विधान सभा सत्र के दौरान की गयी घोषणा संख्या-414/2021 "राज्य के समस्त जल/सीवर उपभोक्ताओं द्वारा 31 दिसम्बर, 2021 तक अवशेष देयकों का एकमुश्त भुगतान करने की दशा में विलम्ब शुल्क की राशि शत-प्रतिशत माफ किये जायेगा" की पूर्ति उपरोक्तानुसार कर ली गयी है, अतः तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
6. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाइल।

(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।